भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2828

07.08.2023 को उत्तर के लिए

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण

2828. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर :
डॉ संजीव कुमार शिंगरी :
श्री एस. रामलिंगम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भूमि क्षरण के मुद्दे पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 13 मिलियन बंजर भूमि को पुनरुद्धार के अन्तर्गत लाने के लिए क्या प्रगति हुई है;

(घ) सरकार द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र के तटीय जिलों विशेषकर तंजावुर, मयिलाडुतुरै, नागपट्टिनम जिले के क्षेत्रों भूमि क्षरण और वनों की कटाई को आरक्षित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भूमि क्षरण के मुद्दे से निपटने के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफसी), 1988, जिसमें कुल क्षेत्र का न्यूनतम एक-तिहाई हिस्सा वन या वृक्ष आवरण के तहत रखने के राष्ट्रीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है, के अनुरूप मंत्रालय अपनी और अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न वनीकरण संबंधी योजनाओं के माध्यम से ऐसी कई पहले कर रहा है जिनका उद्देश्य वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना और उसे बेहतर बनाना तथा इसके फलस्वरूप मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है। मंत्रालय अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) और वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन योजना

(एफएफपीएम) के तहत वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से विभिन्न वनीकरण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। पूरे देश में वनावरण को बढ़ाने के लिए काम्पा के तहत प्रतिपूरक वनीकरण का उपयोग भी किया गया है। राज्य सरकारें भी वृक्षारोपण/वनरोपण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती हैं।

इसके अतिरिक्त, 'मैंग्रोव और कोरल रीफ के संरक्षण और प्रबंधन' पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से संवर्धनात्मक उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वार्षिक प्रबंधन कार्य योजना (एमएपी) बनाई और कार्यान्वित की जाती है।

सरकार ने देश में भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए कई उपाय किए हैं। ये इस प्रकार हैं:

i. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित भारतीय मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण मानचित्रावली, जो देश में भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण के विस्तार को दर्शाती है, में बताया गया है कि वर्ष 2018-19 में देश में भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण 97.84 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। यह अवक्रमित भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल उपलब्ध करता है जो महत्वपूर्ण डाटा और तकनीकी इनपुट प्रदान करके भूमि की बहाली के उद्देश्य से इन स्कीमों की योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में सहायक है।
ii. अवक्रमण की प्रक्रियाओँ सहित भूमि के अवक्रमित क्षेत्र की दृश्यता के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद की सहायता से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है।
iii. दक्षिण-दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) देहरादून में एक उत्कृष्टता केंद्र की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य ज्ञान साझा करना, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, लागत प्रभावी और संधारणीय भूमि प्रबंधन कार्य नीतियों के साथ भारत के अनुभवों को साझा करना, परिवर्तनकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नये आइडिया विकसित करना और क्षमता निर्माण करना है।
iv. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)- भारत को, बॉन चैलेंज लक्ष्य हासिल करने के संबंध में भारत की प्रगति की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है।

पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी)- पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी), 2015 में भारत शामिल हुआ जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) अवक्रमित भूमि और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए स्वैच्छिक बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा ली। वर्ष 2019 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के सीओपी14 के

दौरान वर्ष 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की इस प्रतिज्ञा के लक्ष्य को बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वनीकरण के माध्यम से शामिल की गई भूमि का क्षेत्रफल बताया गया है, जो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान लगभग 18.94 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के तहत वनीकरण से प्राप्त उपलब्धियां शामिल हैं।

(घ) जैसा कि तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि जैव-आवरण के निर्माण के माध्यम से तटीय पर्यावास का पुनर्वास तीन वर्ष (2023-24 से 2025-26) के दौरान करने के लिए तमिलनाडु के सभी तटीय जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसमें तंजावुर, मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम जैसे जिले शामिल हैं, जिसमें 11.25 वर्ग किमी तक वर्तमान मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली की पर्यावरणीय पुन: बहाली करने और 3.28 वर्ग किमी तक मैंग्रोव के नए रोपण की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, जैविक आवरण के रूप में कार्य करने वाली वृक्ष प्रजातियॉ जैसे कैसुरिनास, काजू, मैंग्रोव एसपीपी, पलमायरा और अन्य विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों को बड़े पैमाने पर वनीकरण पहल के हिस्से के रूप में रोपण के लिए इन जिलों में उगाया जा रहा है। इस योजना के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण, जागरूकता बढाने के साथ, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी की जा रही है।

(ङ) मंत्रालय ने भूमि अवक्रमण की समस्या से निपटने के लिए किसी भी गैर सरकारी संगठन के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि, वृक्षारोपण/वनरोपण बहुविभागीय गतिविधि होने के कारण विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजना/गैर-योजना स्कीमों के तहत विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, निगमित निकायों आदि द्वारा अंतर-क्षेत्रीय रूप से भी किया जाता है।

*****